(75)

पत्र संख्या-3(ख)/ पदोन्नति-वि0ग्रेड-वाहन चालक/ 2020-21/ 3709 / वाणिज्य कर
कार्यालय- कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ::दिनांक:: 05 जनवरी,2021

2906

::आदेश::

उत्तर प्रदेश कार्मिक अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-13/12/93-का-1-2013 दिनांक 08-05-2013 के क्रम में संस्थागत वित्त एवं कर निबन्धन अनुभाग-3 के पत्र संख्या-493 / 11-3-14-125/03 दिनांक 23-05-2014 में दिये गये प्राविधानुसार वाणिज्य कर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित वाहन चालक ग्रेड-1 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वाहन चालक विशेष ग्रेड (वेतन बैण्ड-2-9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन 4600/-) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए अग्रिम आदेशों तक उन्हें वर्तमान तैनाती स्थान पर बनाये रखा जाता है :-

क्र0सं0	ज्ये0क्र0 / पु0ज्ये0क्र0	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	चयन वर्ष
1	2	3	4	5	6
1-	61 / 157	श्री हरिशंकर यादव	श्री सरजू सिंह यादव	कानपुर	2019-20
2-	93 / 200	श्री एस0ए0ए0 रिजवी	श्री एस0एस0एच0 रिजवी	कानपुर	2020-21
3-	95 / 203	श्री राम प्रवेश	श्री रोशन लाल	बरेली	2020-21

2- उपरोक्तानुसार पदोन्नत कार्मिकों में से क्र0सं0-01,ज्येष्ठता क्रमांक 61 / 157, श्री हरिशंकर यादव से कनिष्ठ कार्मिक को वाहन चालक विशेष ग्रेड के पद पर हेतु आदेश दिनांक 09-07-2019 द्वारा पदोन्नति प्रदान की गयी है। क्र0सं0- 02, ज्येष्ठता क्रमांक 93 / 200, श्री एस0ए0ए0 रिजवी व क्र0सं0-03 व ज्येष्ठता क्रमांक 95 / 203, श्री रामप्रवेश से कनिष्ठ कार्मिक को वाहन चालक विशेष ग्रेड के पद पर आदेश दिनांक 09-10-2020 द्वारा पदोन्नति प्रदान की गयी है। अत: उपरोक्त पदोन्नत कार्मिको को भी तदनुसार उनसे कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति की तिथि से वाहन चालक विशेष ग्रेड के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान की जाती है। "नो वर्क नो पे" के सिद्धान्त के आधार पर इनको उक्त नोशनल पदोन्नति के लिए कोई एरियर आदि का भुगतान देय नहीं होगा।

3- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को निर्देश दिये जाते है कि वह उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश तामील कराते हुए वाहन चालक विशेष ग्रेड के पद पर कार्यभार ग्रहण करायें।

4- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी / संम्भागीय अधिकारी कृपया यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उपर्युक्त पदोन्नत कार्मिकों में से किसी कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत आरोप पत्र / नोटिस निर्गत

हो, सतर्कता जॉच / ई0ओ0डब्ल्यू जॉच चल रही हो तो ऐसे कार्मिकों पर यह पदोन्नति आदेश प्रभावी न मानते हुए उन्हे कार्यभार ग्रहण न कराए और और अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित करें।

5- वर्तमान में यदि कोई कर्मचारी स्तम्भ-5 में अंकित स्थान से स्थानान्तरित हो गया हो तो उसकी वर्तमान तैनाती का स्थान तदनुसार संशोधित मानते हुए सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी अपने स्तर से सम्बन्धित कर्मचारी को इस पदोन्नति आदेश की एक प्रति तामील कराते हुए कार्यभार ग्रहण करायेगें और इसकी सूचना मुख्यालय को भी उपलब्ध करायेगें।

Sd

(सूर्यमणि लालचंद)
एडीशनल कमिश्नर(प्रशा0)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक----उक्त-----

प्रतिलिपि -: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
2- सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0)वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
4- सम्बंधित डिप्टी कमिश्नर (प्रशा0) / आहरण वितरण अधिकारी,उत्तर प्रदेश।
5- सम्बंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- सम्बंधित कर्मचारियों को नाम से।
7- सम्बंधित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका हेतु।

(प्रवीण वर्मा)
असिस्टेन्ट कमिश्नर(स्था0अरा0)वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।